



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042026-271969
CG-DL-E-22042026-271969

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 2026/वैशाख 1, 1948

No. 275]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 2026/VAISAKHA 1, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 299(अ).— औषधि नियम, 1945 में और संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्र सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 33 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद बनाना प्रस्तावित करती है, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख को इन प्रारूप नियमों वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

उक्त अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव (औषधि विनियमन), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, यू-6, वर्क हॉल- सी विंग, पहली मंजिल, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली, 110001 को संबोधित किए जा सकते हैं या drugdiv-mohfw@gov.in पर ईमेल किए जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. (i) इन नियमों को औषधि (..... संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।
(ii) ये राजपत्र में अंतिम नियमों के प्रकाशन के 3 महीने बाद प्रवृत्त होंगे।
2. औषधि नियम, 1945 में, नियम 89 के अधीन, " प्ररूप 25 या प्ररूप 28 " शब्दों के स्थान पर " प्ररूप 25 या प्ररूप 25ए या प्ररूप 25एफ या प्ररूप 28 या प्ररूप 28ए या प्ररूप 28बी या प्ररूप 28डी या प्ररूप 28डीए या प्ररूप 28एफ " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एक्स.11014/03/2026-डीआर]

हर्ष मंगला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: औषधि नियम, 1945 राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 28-10/45-एच (1) दिनांक 21 दिसंबर, 1945 के तहत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.... (अ), दिनांक.... के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st April, 2026.

G.S.R. 299(E).— The following draft of certain rules further to amend the Drugs Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), after consultation with the Drugs Technical Advisory Board is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to the public.

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs Regulation), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, U-6, Work Hall- C Wing, first floor, Kartavya Bhawan-1, New Delhi, 110001 or emailed at drugsdiv-mohfw@gov.in.

DRAFT RULES

1. (i) These rules may be called the Drugs (..... Amendment) Rules, 2026.
(ii) They shall come into force after the 3 months of publication of the final rules in the Official Gazette.
2. In the Drugs Rules, 1945, under rule 89, the words “**Form 25 or Form 28**” shall be substituted with the words “**Form 25 or Form 25A or Form 25F or Form 28 or Form 28A or Form 28B or Form 28D or Form 28DA or Form 28F**”.

[F. No. X.11014/03/2026-DR]

HARSH MANGLA, Jt. Secy.

Note: The Drugs Rules, 1945 were published in the Official Gazette vide notification No. F. 28-10/45-H (1) dated 21st December, 1945 and last amended vide notification number G.S.R.... (E), dated....